

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-माध्य/माध्यमिक/शाला दर्पण/60313/19/5

दिनांक:-16/7/19

समस्त संयुक्त निदेशक संभाग मुख्यालय  
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी  
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक  
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

विषय:- राजीव गांधी कैरियर गाईडेंस एवं काउंसलिंग सैल के संबंध में।

प्रसंग:- श्रीमान् शासन उप सचिव-प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.17(2) शिक्षा-1/2019 जयपुर दिनांक 14.06.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि श्रीमान् शासन उप सचिव-प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.17(2) शिक्षा-1/2019 जयपुर दिनांक 14.06.2019 विद्यालय शिक्षा के पश्चात् उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शन के लिए परामर्श केन्द्र के रूप में स्टूडेंट एडवाइजरी एवं गाइडेन्स ब्यूरो की स्थापना शिक्षा संकुल परिसर में की गई थी जिसमें कैरियर पोर्टल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम से करते हुए इस पोर्टल का नाम "राजीव गांधी कैरियर गाईडेंस एवं काउंसलिंग सैल (RGCGCC)" किया गया है।

इस पोर्टल से प्रदेश के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के कैरियर निर्माण, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों, प्रवेश परीक्षाओं, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों एवं विविध छात्रवृत्तियों के बारे में उचित मार्गदर्शन तथा अवसर निःशुल्क प्राप्त होंगे। इस हेतु कक्षा 9 से 12 के सभी विद्यार्थियों को लॉगइन एवं पासवर्ड की सुविधा प्रदान की गई है। इस पत्र के साथ संलग्न पत्र के अनुसार राजीव गांधी कैरियर गाईडेंस एवं काउंसलिंग सैल के उद्देश्य, कार्य, संरचना (राज्य व जिला स्तर), सूचना एवं सामग्री संकलन व प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से बताया गया है। अतः समस्त विद्यालयों/कार्यालयों में इस हेतु आवश्यक निर्देश व प्रचार-प्रसार भीडिया/पत्र द्वारा करे ताकि समस्त विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार



(नथमल डिडेल)


आई.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. श्रीमान् शासन उप सचिव-प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, राजस्थान, जयपुर।
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. उपनिदेशक, शाला दर्पण जयपुर।



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 17(2) शिक्षा-1/2019

जयपुर, दिनांक : 14.06.2019

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.05.2019 द्वारा विद्यालय शिक्षा के पश्चात् देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शन के लिए परामर्श केन्द्र (Counselling Center) के रूप में स्टूडेंट एडवाइजरी एवं गाइडेन्स ब्यूरो (Student Advisory and Guidance Bureau) की स्थापना राज्य स्तर पर शिक्षा संकुल परिसर में की गई थी। उक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 28.05.2019 को अतिक्रमित करते हुए कैरियर पोर्टल का नाम आई.टी. के जनक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम से करते हुए इस पोर्टल का नाम "राजीव गांधी कैरियर गाइडेन्स एवं काउंसलिंग सैल (RGCGCC)" किया जाता है।

इस पोर्टल से प्रदेश के कक्षा 9 से 12 तक के बालक-बालिकाओं को कैरियर निर्माण, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों, प्रवेश परीक्षाओं, रोजगारपरक पाठ्यक्रम एवं विविध छात्रवृत्तियों के बारे में उचित मार्गदर्शन तथा अवसर निःशुल्क प्राप्त होंगे। इस पोर्टल पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में 14 देशों के 10,000+ शैक्षणिक संस्थाएँ, 200+ व्यावसायिक, 237+ प्रोफेसन, 455+ कैरियर विकल्पों, 960+ छात्रवृत्तियों, 955+ प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में निःशुल्क जानकारी मिल सकेगी जिससे प्रदेश के कक्षा - 9 से 12 के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। इस हेतु प्रदेश के कक्षा 9 से 12 के सभी विद्यार्थियों को लॉगइन एवं पासवर्ड जारी किया जायेगा।

राजीव गांधी कैरियर गाइडेन्स एवं काउंसलिंग सैल (RGCGCC) के उद्देश्य एवं कार्य निम्नानुसार होंगे :-

उद्देश्य :

- सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को आगामी पाठ्यक्रमों एवं व्यवसाय/भर्तियों के संबंध में निरन्तर समग्र जानकारी उपलब्ध कराना।
- राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आगामी शिक्षा एवं भर्तियों हेतु समस्त प्रकार की सूचना एवं सामग्री का संकलन सुरक्षित रखना।
- विद्यालय स्तर पर छात्र-छात्राओं को कैरियर के चयन में आवश्यक सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- विद्यालय स्तर पर छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर एवं अभिरुचि का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण कर उचित सलाह देना।



- सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा छात्र-छात्राओं के आगामी शिक्षण, प्रवेश परीक्षाओं की जानकारी एवं कैरियर निर्माण व भर्ती संबंधी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न शैक्षिक एवं आर्थिक सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना।

#### कार्य :

- राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गठित सैल द्वारा कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को राजीव गांधी कैरियर गाईडेंस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी एवं अन्य संसाधनों से उपलब्ध जानकारी जो विद्यार्थी हित में हों, उपलब्ध करवायी जायेगी।
- ब्लॉक एवं जिला स्तर पर संधारित अभिलेख की सूचना प्रतिमाह 20 तारीख तक संबंधित सीडीईओ द्वारा सीडीईओ को तथा सीडीईओ द्वारा राज्य स्तर पर गठित प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।
- उपरोक्तानुसार राज्य स्तर पर लाभान्वितों की संकलित सूचना अभिलेख के रूप में जिलावार प्रतिमाह अंतिम कार्य दिवस को संधारित की जायेगी।

#### संरचना :

राजीव गांधी कैरियर गाईडेंस एवं काउंसलिंग सैल (RGCGCC) की संरचना राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर निम्नानुसार होगी :-

#### राज्य स्तर :

- राज्य स्तर पर शिक्षा संकुल परिसर में राज्य स्तरीय राजीव गांधी कैरियर एवं काउंसलिंग सैल (RGCGCC) का गठन किया जायेगा।
  - अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के स्तर के हों, इसके प्रभारी अधिकारी होंगे। सैल का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :-
- |  |              |
|--|--------------|
| 1. उपायुक्त (शाला दर्पण सैल)                                     | — संयोजक     |
| 2. उप निदेशक (शाला दर्पण)  | — सदस्य सचिव |
| 3. सहायक निदेशक (शाला दर्पण)                                     | — सदस्य      |
| 4. प्रतिनिधि, निदेशक, सीमेट (जो जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के हों) | — सदस्य      |

उपरोक्तानुसार गठित सैल (प्रकोष्ठ) कैरियर गाईडेंस एवं काउंसलिंग की योजना बनाने कार्यक्रम तैयार करने एवं क्रियान्वित का कार्य करेगी।

#### जिला स्तर :

- जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय में जिला स्तरीय राजीव गांधी कैरियर गाईडेंस एवं काउंसलिंग सैल (RGCGCC) का गठन किया जायेगा।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, इस सैल के प्रभारी अधिकारी होंगे। सैल का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :-

*S. S. S.*

1. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान – संयोजक
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय – सदस्य
3. सहायक निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय – सदस्य सचिव

उपरोक्तानुसार गठित सैल (प्रकोष्ठ) कैरियर गाईडेंस एवं काउंसलिंग की योजना बनाने कार्यक्रम तैयार करने एवं क्रियान्वित का कार्य करेगी।

#### ब्लॉक स्तर :

- ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ, कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी कैरियर गाईडेंस एवं काउंसलिंग सैल (RGCGCC) का गठन किया जायेगा।
- सीबीईओ, इस सैल के प्रभारी अधिकारी होंगे। सैल का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :-
  1. अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-प्रथम – संयोजक
  2. अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय – सदस्य
  3. आर.पी. प्रथम, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव

उपरोक्तानुसार गठित सैल (प्रकोष्ठ) कैरियर गाईडेंस एवं काउंसलिंग की योजना बनाने कार्यक्रम तैयार करने एवं क्रियान्वित का कार्य करेगी।

#### सूचना एवं सामग्री संकलन :

- राजीव गांधी कैरियर गाईडेंस एवं काउंसलिंग सैल (RGCGCC) हेतु ऑन लाईन कैरियर पोर्टल से संबंधित समस्त प्रकार की अपडेट जानकारी देना।
- कैरियर गाईडेंस एवं काउंसलिंग से संबंधित समस्त प्रकार की सूचना एवं जानकारी तथा आवश्यक सामग्री का संकलन तीनों स्तर पर समसा योजनान्तर्गत किया जावेगा।
- सूचनाओं के प्रकार की सामग्री एवं सूचना के स्तर की जानकारी संकलित करने हेतु इसका चयन एवं निर्धारण राज्य स्तरीय राजीव गांधी कैरियर गाईडेंस एवं काउंसलिंग सैल (RGCGCC) द्वारा किया जायेगा।

#### प्रशिक्षण :

- राज्य स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कर जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। जिला स्तरीय सैल के प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों का वर्ष में एक बार कैरियर काउंसलिंग से संबंधित अभिमुखीकरण किया जाएगा। इन पंचायत स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा।



### नोडल विभाग :

- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर इसका नोडल विभाग होगा तथा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में पदस्थापित उपायुक्त (शाला दर्पण) इसके नोडल प्रभारी अधिकारी होंगे।

मार्गदर्शन चाहने वाले विद्यार्थियों को प्रत्येक माह की 15 तारीख (राजपत्रित अवकाश की स्थिति में आगामी कार्यदिवस) को प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक मार्गदर्शन प्रदान किया जावेगा। विद्यार्थियों को दूरभाष/ई-मेल पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकेगा, इसके लिए प्रभारी द्वारा विद्यालयों को दूरभाष/ई-मेल की जानकारी दी जावेगी साथ ही इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जावेगा।

*(प्रदीप गोयल)*  
14/06/2018

शासन उप सचिव-प्रथम

### प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
5. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अति. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

*(डॉ. रणवीर सिंह)*  
14.6.18  
विशेषाधिकारी-शिक्षा